संभागीय आयुक्त के गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल होने से पहले शुरू की सर्च की कार्रवाई

कोटा संभागीय आयुक्त राजेन्द्र विजय का टोंक रोड स्थित मकान।

जयपुर के सी-स्कीम स्थित अशोक मार्ग पर आई.ए.एस. राजेन्द्र विजय का शोरूम।

- एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के चार ठिकानों पर सर्च किया।
- राजेंद्र विजय ने 25 सितम्बर को पदभार ग्रहण किया था। बीते कांग्रेस शासन में एक साल तक बारां जिले के कलेक्टर पद पर रहे।
- दौसा जिले के दुब्बी गांव में एसीबी ने मकान को सील किया।

जयपुर। कोटा संभागीय आयुक्त आईएएस ऑफिसर राजेंद्र विजय को बुधवार को गांधी जयंती के अवसर पर चंबल गार्डन में पुष्पांजलि कार्यक्रम में जाना था, लेकिन इससे पहले सुबह करीब छह बजे एसीबी की टीमें उनके सर्किट हाउस स्थित निवास पर सर्च की कार्रवाई करने पहुंच गई।

कोटा संभागीय आयुक्त आईएएस ऑफिसर राजेंद्र विजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को एसीबी की टीमों ने उसके जयपुर, कोटा और दौसा में चार ठिकानों पर छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया।

राजेंद्र विजय मूलत: दौसा जिले के दुब्बी गांव के निवासी हैं। बुधवार सुबह एसीबी की टीम दुब्बी में उनके घर पहुंची तो गांव में खलबली मच गई। डिप्टी एसपी नवल मीना ने कार्रवाई करते हुए उनके मकान को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान विजय के पैतृक घर पर कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद सर्च की कार्रवाई होगी।

राजेंद्र विजय ने सात दिन पहले ही 25 सितम्बर को कोटा के डिविजनल कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया था। वे अभी सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं हुए थे। वह कोटा में ही सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। सर्किट हाउस पर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा टीम के साथ पहुंचे। जिस समय एसीबी की टीमों ने उनके ठिकानों पर दबिश दी तब वो कोटा सर्किट हाउस में ही थे। उन्हें सुबह गांधी जयंती के अवसर पर चंबल गार्डन में पुष्पांजलि कार्यक्रम में जाना था। एसीबी की टीमों ने सुबह 6 बजे से ही अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इसकी मॉनिटरिंग खुद एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा कर रहे हैं। सभी टीमों को एक दिन पहले ही ब्रीफ कर दिया गया था। बीते कांग्रेस शासन में राजेंद्र विजय एक साल तक बारां जिले के कलेक्टर पद पर रहे। उन्हें जनवरी 2021 में बारां जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने उनका तबादला कर दिया था। हाड़ौती में यह उनकी पहली पोस्टिंग थी और उसके बाद कोटा में सम्भागीय आयुक्त के पद पर उनकी दूसरी नियुक्ति थी।

इससे पहले कलेक्टर इंद्र सिंह राव को 9 दिसंबर, 2020 को एसीबी ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। एसीबी टीम सर्किट हाउस भी पहुंची और जांच पड़ताल की है। इसके अलावा संभागीय आयुक्त के सरकारी आवास पर भी टीम को भेजा गया। हालांकि वह अभी वहां शिफ्ट नहीं हुए हैं लेकिन एक दो बार जाकर आए हैं। उनके ऑफिस में भी जांच पड़ताल की जा रही है।

खादी उत्पादों पर लें आकर्षक छूट का लाभ : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर स्थित खादी प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

- खादी वस्त्रों की खरीद कर यू.पी.आई. से भुगतान किया

जयपुर। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर स्थित खादी प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी देश की पहचान है। इसके उत्पाद पर्यावरण हितैषी होते हैं तथा हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं। उन्होंने कहा कि खादी उत्पादों पर 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है। आमजन इस छूट का लाभ उठाते हुए खादी उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ताकि कतिनों एवं बुनकरों को आर्थिक संबल मिल सकें। शर्मा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और खादी उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने खादी उत्पादों का क्रय कर यूपीआई माध्यम से भुगतान भी किया। मुख्यमंत्री ने परिसर स्थित राष्ट्रिपता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने खादी वस्त्रों को खरीदकर यूपीआई से भुगतान भी किया। इस अवसर पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित खादी संस्थान से जुड़े कार्मिक भी उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट ने डेढ़ दशक पुराने मामले का निपटारा किया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल राशि के पुनर्भरण के करीब डेढ़ दशक पुराने प्रकरण का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को चिकित्सीय इलाज में हुए खर्च का सरकारी दर पर गणना कर तीन माह में भुगतान करे। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने छह फीसदी ब्याज का भुगतान करने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश साहब सिंह की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता जलदाय विभाग, हिंडौन में कार्यरत था। वर्ष 2007 में आपातकाल में उसे जयपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। जिसमें करीब 80 हजार रुपए खर्च हुए। याचिकाकर्ता ने बाद में इस राशि के पुनर्भरण के लिए विभाग में बिल पेश किए। जिसे सहायक अभियंता ने भुगतान की सिफारिश के साथ अधिशासी अभियंता को भेज दिए।

वहीं बिल राशि को विभाग ने यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता ने सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में इलाज नहीं कराया है। वहीं जिस अस्पताल से याचिकाकर्ता ने इलाज कराया है, वह राज्य सरकार से अधिकृत भी नहीं है। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि इमरजेंसी में याचिकाकर्ता को इलाज कराना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि इमरजेंसी में कहीं भी इलाज कराया जा सकता है और पुनर्भरण राशि की गणना सरकारी अस्पताल में खर्च होने वाली राशि के आधार पर की जा सकती है। इसलिए याचिकाकर्ता को इलाज में खर्च राशि का पुनर्भरण किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को तीन माह में राशि का पुनर्भरण करने को कहा है।

आईकोल्ड की बैठक में प्रदेश के 20 अधिकारियों ने भाग लिया

जयपुर। इंटरनेशनल कमिशन ऑन लार्ज डैम्स (आईकोल्ड) की 92वीं वार्षिक बैठक नई दिल्ली में 29 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक "डैम्स फोर पीपल, वाटर, एन्वायरमेंट एंड डवलपमेंट" विषय पर आयोजित की जा रही है, जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में बांधों की महत्वपूर्व भूमिका पर जोर देता है।

भारत मंडपम में होने वाला यह कार्यक्रम 65 से अधिक सदस्य देशों के विशेषज्ञों और हित धारकों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श और अमूल्य अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिये एक साथ लाता है। राजस्थान राज्य की ओर से एक अक्टूबर को जल संसाधन विभाग के एसीएस अभय कुमार कार्यक्रम के उद्घाटन में सम्मिलित हुए तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ आईकोल्ड की थीम पर चर्चा की एवं अपने अनुभव साझा किये। कार्यक्रम में विभाग के 20 अधिकारियों ने भाग लिया।

आई.ए.एस. अभय कुमार

राजस्थान की ओर से 2 अक्टूबर के जल संसाधन विभाग के नोडल ऑफिसर और मुख्य अभियंता रवि सोलंकी ने "रोल ऑफ डैम्स एंड नीड ऑफ देयर रिहैबिलेशन इन क्लाइमेट चेंज एडेप्शन" विषय पर पेपर भी पेश किया। जिसमें सतत विकास सुनिश्चित करने के लिये एक लचीले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपाय के रुप में बांधों का महत्व और उनकी सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन और संबंधित उपकरणों को स्थाई तरीके से बेहतर बनाने के लिये बांधों के पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से स्वच्छता बना जन आंदोलन : भजनलाल शर्मा

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम के तहत देश में विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रिपता महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के समय स्वच्छता का संदेश दिया था जिसे आगे बढ़ाते हुए हमने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी। अपार जन भागीदारी से यह मिशन अब जन आंदोलन बन चुका है।

मोदी ने कहा कि 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के तहत देशभर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन 15 दिनों में 27 लाख कार्यक्रम हुए जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों से स्वच्छता अब जनसेवा तथा जन आंदोलन बन चुकी है तथा स्वच्छ भारत की बुनियाद पर बढ़ते हुए विकसित भारत-विकसित राजस्थान का विजन साकार किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री सामाजिक सरोकारों के काम में हमेशा अग्रणी हते हैं।

उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, एक पेड़ मां के नाम तथा स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियानों से उन्होंने देश में विकास कार्यों में जनभागीदारी को एक नई दिशा दी है।

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर
(मुरलीपुरा सब्जी मण्डी के पीछे, सामुदायिक केन्द्र मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर)
क्रमांक म.जो.नि.नि/जन/2024/3164 दिनांक:- 30/09/24
सार्वजनिक सूचना भूखण्ड सं. बी-89A, 4 ई ब्लाक बी विस्तार, मुरलीपुरा (मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजेंद्र कुमार शर्मा को क्षेत्रफल 360 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में आवेदक श्री भारत राज शर्मा पुत्र श्री राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग) पंजीकृत पट्टा मय लाइट प्लान की फोटो प्रति, मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का स्वयं के नाम से नाम हस्तांतरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का श्री भारत राज शर्मा पुत्र श्री राजेंद्र कुमार शर्मा के पक्ष में कुल क्षेत्रफल 194 वर्गगज का नाम हस्तांतरण जारी किया जाता है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त मुरलीपुरा जोन नगर निगम वेटर, जयपुर

भारती बाल मंदिर समिति
आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र
प्रवेश प्रारंभ Diploma in Ayush Nursing & Pharmacy में (ढाई वर्षीय) राज्य सरकार एवं राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर से मान्यता प्राप्त। योग्यता 12वीं उत्तीर्ण किसी भी विषय से। आवेदन की अन्तिम तिथि 14.10.2024 तक।
पता- प्राचार्य, भारती बाल मंदिर समिति आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र ए-10, नया रामगढ़ रोड, जयपुर-2
8619105633

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुधीर गुलाटी पुत्र श्री खेमन्द गुलाटी निवासी प्लाट नं. 5-घ-6 जवाहर नगर, राम लीला मैदान के सामने जयपुर राजस्थान का हूँ मेरा पुत्र साहिल गुलाटी आयु 31 वर्ष जो कि जनवरी 2024 से किसी भी प्रकार से मेरे कहने में नहीं है मैंने उसे अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से माह जनवरी 2024 में मौखिक रूप से बेदखल कर दिया था जिसकी तहरीरी रूप से आज घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र से माह जनवरी 2024 से व भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का संव्यवहार करता है तो उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
जयपुर
दिनांक
सुधीर गुलाटी
मो. 8829011454

खोया पाया
नवजीवन ग्रह निर्माण सहकारी समिति की योजना दादीबाडी, चोमू रोड के भूखंड संख्या 58 का सोसाइटी द्वारा जारी रसीद व 09.03.2009 को सब रजिस्टार जयपुर पंचम द्वारा रजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहीं खो गई है मिलने पर सूचित करें।
अमजद-9414062075

नाम परिवर्तन
मैं मान्यता पुत्री श्री विनोद सिंह, मिल्कीपुरा ढिंढोरा करौली राजस्थान 322236 ने अपना नाम बदलकर मान्यता सिंह तंवर रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना जाए।
मै आर्मी नं. JC-453532P Sub Sanjeev Singh of Unit 24 Grenadiers मेरे सैन्य दस्तावेज में मेरी माता का नाम Darsena Devi है जो कि गलत है मेरी माता का सही नाम Darshana Devi है।

न्यायालय तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर
क्रमांक-भू.अ./24/2706 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक-4/9/24
प्रार्थी श्री गोविन्द सिंह गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि श्री रामसिंह पुत्र सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर जो प्रार्थी के दादा है ने अपने जीवनकाल में दिनांक 06.09.2019 को आराजी खसरा नम्बर 269,1969/264 मौजा प्रागपुरा की वसीयत मेरे पक्ष में निष्पादित की थी। मूताबिक वसीयत के प्रार्थी के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जावें। प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस कार्यालय में विचाराधीन है। प्रकरण के संबंध में हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार अपना पक्ष उक्त विज्ञप्ति जारी होने के 10 कार्यालय दिवस में स्वयं या अपने प्लीडर के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के पश्चात प्रकरण के संबंध में विधि अनुसार निर्णय पारित कर दिया जावेगा। सूचित रहे।
तहसीलदार, तहसील-पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड

डॉ. सतीश पूनिया का अपेंडिक्स का रोहतक में सफल ऑपरेशन हुआ

रोहतक। विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के विजय संकल्प अभियान में दो महीने से अधिक समय से निरंतर अथक परिश्रम कर रहे। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया का मंगलवार देर रात को रोहतक (हरियाणा) में अपेंडिक्स का सफल ऑपरेशन हुआ।

- दो महीने से अधिक समय से हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुटे हैं पूनिया
- भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हरियाणा एवं राजस्थान प्रदेश नेतृत्व ने सतीश पूनिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया का मंगलवार देर रात को रोहतक (हरियाणा) में अपेंडिक्स का सफल ऑपरेशन हुआ।

गौरतलब है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हरियाणा भाजपा संगठन प्रभारी सतीश पूनियां 2 महीने से अधिक समय से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रवास, बैठकें और सभाओं के माध्यम से भाजपा के विजय संकल्प अभियान में जुटे हुये हैं। इस बीच मंगलवार रात को सतीश पूनिया के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। जहां उन्हें रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच में उन्हें अपेंडिक्स होने की जानकारी सामने आई, ऐसे में चिकित्सकों ने देर रात अपेंडिक्स का सफल ऑपरेशन किया। अब चिकित्सकों की सलाह के अनुसार सतीश पूनिया कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ पर रहेंगे। ऐसे में वह अस्पताल से ही दूरभाष के माध्यम चुनाव प्रबंधन में जुटे हुए हैं और आगामी दिनों में वह जयपुर आकर पूर्णत: स्वस्थ होने के बाद राजस्थान एवं हरियाणा के कार्यकर्ताओं और आमजन के बीच सदैव की तरह उपस्थित रहेंगे। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से लेकर भाजपा हरियाणा एवं भाजपा राजस्थान प्रदेश नेतृत्व एवं अन्य पार्टियों के नेताओं ने सतीश पूनिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, त्रिपुरा के पूर्व सीएम एवं चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली, सह प्रभारी सुरेंद्र नगर, भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी एवं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सुमित गोदारा सहित प्रदेश के तमाम विधायकों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा पदाधिकारियों ने सतीश पूनिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय ADJ साहब स्थान हिण्डौन वहीद विरूद्ध अब्दुल जब्बार वाद/प्रार्थना-पत्र प्रार्थना-पत्र संख्या 108/2017 सन् नाम 1.अब्दुल जब्बार पुत्र गुलजार जाति मुसलमान पता मकान नं. 97-98 रूप कॉलोनी मस्जिद के पास हसनपुर जयपुर राज.,2. गुल मोहम्मद पुत्र गुलजार जाति मुसलमान पता हाजी गुलमोहम्मदशेख लक्ष्मीनगर कालवाड रोड, प्लाट नं. 19,20,2,25 झोटवाडा जयपुर, 3.सत्तार पुत्र हमीद जाति मुसलमान पता राजीव कॉलोनी ट्रक यूनियन मस्जिद के पास मकान नं. 157 गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर, 4. रसीद पुत्र हम्मीद जाति मुसलमान पता संजय नगर गली नं. 15 शमशान के पास कोटा जंक्शन राज.,5. सहीद पुत्र सफीक जाति मुसलमान पता भैसा तहसील टोडाभीम पट्टी खुर्द मस्जिद के पास, 6. शरीफ पुत्र रफीक जाति मुसलमान पता गली नं. 12 शमशान के पास संजयनगर कोटा जंक्शन राज.,7.रसीदन वेवा पत्नि रफीक जाति मुसलमान पता पर्वत कॉलोनी आवागढ ट्रांसपोर्ट नगर आर.के. केयर सेन्टर के पास मकान नं. 194 जयपुर,8. रजिया पुत्री रफीक पत्नि सद्दीक जाति मुसलमान पता वर्तत कॉलोनी आवागढ ट्रांसपोर्ट नगर आर.के. केयर सेंटर मस्जिद के पास मकान न.194 जयपुर, 9.राविया उर्फ कज्जो पुत्री रफीक पत्नि अजीज जाति मुसलमान पता आदर्श कॉलोनी कोटा बार राड पुलिस थाने के आगे की गली मस्जिद के पास अन्ता बारां, 10.अनीता उर्फ पतली पत्नि रहिश पुत्री रफीक जाति मुसलमान पता पर्वतपुरी गुणी कॉनोनी आवागढ ट्रांसपोर्ट नगर मकान नं. 135/136 जयपुर, 11. रफीका उर्फ नोनी पुत्री रफीक पत्नि रसीद जाति मुसलमान पता हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अन्ता जिला बारां राज., 12. अब्दुल सलीम पुत्र ईसाक जाति मुसलमान पता कुतकपुर तह. हिण्डौन उक्त सायलान ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 15 माह 10 सन् 2024 को 10 ए.एम पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 23 माह 9 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
(मुहर) आज्ञा से रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय ADJ साहब स्थान हिण्डौन वहीद विरूद्ध अब्दुल जब्बार वाद बाबत दावा वाद सं. 136/2024
बनाम 1. अब्दुल जब्बार पुत्र गुलजार जाति मुसलमान स्थान मकान न. 97-98 राम कॉलोनी मस्जिद के पास हसनपुरा जयपुर राज., 2.गुलमोहम्मद पुत्र गुलजार जाति मुसलमान स्थान हाजी गुलमोहम्मद शेख लक्ष्मी नगर कालवाडा रोड प्लाट नं. 19,20,2,25 झोटवाडा जयपुर, 3.सत्तार पुत्र हमीद जाति मुसलमान राजीव कॉलोनी ट्रक यूनियन मस्जिद के पास मकान नं.157 गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर, 4.रसीद पुत्र हम्मीद जाति मुसलमान संजय नगर गलि नं. 15 शमशान के पास कोटा जंक्शन, 5.सहीद पुत्र सफीक जाति मुसलमान नि. भैंसा तह. टोडाभीम पट्टी खुर्द मस्जिद के पास, 6.शरीफ पुत्र रफीक जाति मुसलमान गली नं. 12 शमशान के पास संजय नगर कोटा जंक्शन, 7.रसीदन वेवा पुत्र रफीक जाति मुसलमान पर्वत कॉलोनी आवागढ ट्रांसपोर्ट नगर आर.के. केयर सेंन्टर के पास मकान नं. 194 जयपुर, 8.रजिया पुत्री रफीक पत्नि सद्दीक जाति मुसलमान वर्तत कॉलोनी आवागढ ट्रांसपोर्ट नगर आर.के. केयर सेंटर मस्जिद के पास मकान नं. 194 जयपुर, 9.राविया उर्फ कज्जो पुत्री रफीक पत्नि अजीज जाति मुसलमान पता आदर्श कॉलोनी कोटा बार रोड पुलिस थाने के आगे की गली मस्जिद के पास अन्ता बारां, 10.अनीता उर्फ पतली पत्नि रहिश पुत्री रफीक जाति मुसलमान पता पर्वतपुरी गुणी कॉनोनी आवागढ ट्रांसपोर्ट नगर मकान नं. 135/136 जयपुर, 11.रफीका उर्फ नोनी पुत्री रफीक पत्नि रसीद जाति मुसलमान पता हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अन्ता जिला बारां राज., 12. अब्दुल सलीम पुत्र ईसाक जाति मुसलमान पता कुतकपुर तह. हिण्डौन, वादी ने आपके विरूद्ध दावा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय मं तारीख 15 माह 10 सन् 2024 को दिन में 10AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्ज व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 23 माह 9 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(मुहर) आज्ञा से रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

कार्यालय नगरपालिका मालपुरा जिला टोंक (राज.)
क्रमांक- न.पा.मा./24-25/2318 दिनांक-01.10.2024
सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रण सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती माया शर्मा पत्नि सत्यनारायण शर्मा निवासी आजाद चौक मालपुरा जिला टोंक द्वारा भूखण्ड साईज पूर्व से पश्चिम 31 फीट, उत्तर से दक्षिण 40 फीट कुल 137.77 वर्गगज जो कि वार्ड नं. 19 सूर्य मंदिर के पास नई नगरी मालपुरा में स्थित है की निर्माण स्वीकृति चाहने बाबत आवेदन पत्र मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति या उज्र हो तो अन्दर मियाद 7 दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा बाद गुजर जाने मियाद किसी का कोई उज्र या आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूति रहे।
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मालपुरा

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, पलसाना (सीकर)
15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA — आज़ादी का अमृत महोत्सव
E-mail: kums.alsana@rajasthan.gov.in
क्रमांक-339-53 दिनांक-23/09/2024
संशोधित सूचना
मण्डी समिति पलसाना द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 221-234 दिनांक 01.08.2023 में संहवन से मण्डी क्षेत्र की अनुज्ञापत्रधारी तेल मिल एवं अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण ईकाई तथा बिन्दु संख्या 2 में मण्डी समिति के ऐसे अनुज्ञापत्रधारी अंकित हो गया है।
अतः इनकी जगह केवल अनुज्ञापत्रधारी तेल मिल एवं अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण ईकाई पढ़ा जावें तथा बिन्दु संख्या 2 में मण्डी समिति के शब्द को नहीं पढ़ा/माना जावें।
(सुमन कुमारी) सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
पलसाना (सीकर)

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

मुख्यमंत्री ने नवरात्रा स्थापना पर शुभकामनाएं दीं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्रा स्थापना (3 अक्टूबर) के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने कहा कि शारदीय नवरात्र का यह पर्व हमें मातृ शक्ति की आराधना की प्रेरणा देता है। इस पावन अवसर पर हम सभी समाज में लिंग भेद तथा कन्या भूरण हत्या जैसी कुरीतियों को समाप्त करने, महिलाओं का सम्मान करने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लें, जिससे एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके और देश प्रगति के नए कीर्तिमान बना सके।